

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
अनुसूचित जाति/जनजाति (संकटापन्न) राहत योजना अन्तर्गत
आवेदन – पत्र

प्रति,

कलेक्टर महोदय
(आदिवासी विकास)
सिवनी

1. आवेदक/आवेदिका का नाम -----
2. पिता/पति का नाम -----
3. जाति ----- अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. निवासी ग्राम ----- ग्राम पंचायत -----
विकास खण्ड ----- तहसील -----
5. आवेदक/आवेदिका की वार्षिक आय,रूपयें ----- शब्दों में -----
(गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन का/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. आवेदक/आवेदिका के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	परिवार सदस्यों के नाम	उम्र	आवेदक से संबंध	व्यवसाय
---------	-----------------------	------	----------------	---------

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

7. राहत राशि माँगने का प्रयोजन

(पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें) -----

8. यदि कोई घटना हुई हो तो उसका विवरण देंगे

9. राहत राशि की आवश्यकता -----

स्थान –
दिनांक –

सहपत्र –

आवेदक/आवेदिका के हस्ता.

घोषणा –पत्र

उपरोक्त दी गई जानकारी सही है तथ्यों के असत्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है
।

आवेदक/आवेदिका के हस्ता.

ग्राम सभा/संरपच की अनुशंसा

विभागीय अधिकारी की टीप

अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह योजना नियम 1978
(संशोधित दि. 15 सितम्बर 2014)
प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सिवनी

लड़के का विवरण	लड़की का विवरण
1. लड़के का नाम –	लड़की का नाम –
2. पिता का नाम –	पिता का नाम –
3. माता का नाम –	माता का नाम –
4. जाति एवं वर्ग –	जाति एवं वर्ग –
5. जन्मतिथि –	जन्मतिथि –
6. विवाह के समय उम्र –	विवाह के समय उम्र –
7. विवाह के पूर्व का पता –	विवाह के पूर्व का पता –
8. मोबाईल नंबर	मोबाईल नंबर
9. विवाह के बाद का पता –	विवाह के बाद का पता –
10. शैक्षणिक योग्यता –	शैक्षणिक योग्यता –
11. विवाह की तिथि –	
12. जीविकापार्जन का वर्तमान साधन –	
13. रोजगार की भावी योजना –	
14. विवाह अधिकारी का नाम व पदनाम (कार्यालय / संस्था का नाम लिखें)	

नाम व हस्ताक्षर

(अनुसूचित जाति लड़के/लड़की)

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

(गैर अनुसूचित जाति)

क्रमशः 2 पर

निम्न प्रमाण पत्र आवेदक संलग्न करें –

1. रजिस्टर्ड अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र नियम 5(ब) के अनुसार।
2. जाति प्रमाण पत्र नियम 5(ग) के अनुसार दोनों के।
3. निवास प्रमाण पत्र नियम 5(ग) के अनुसार दोनों के।
4. यदि दोनों बेरोजगार हो तो शपथ पूर्वक कथन नियम 5(घ) के अनुसार।
5. जन्मतिथि / आयु का प्रमाण पत्र।
6. दम्पति का वर्तमान संयुक्त फोटो पोस्टकार्ड साइज संख्या दो।
7. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।

घोषणा – पत्र

हम पति-पत्नि जिन्होंने कि अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह किया है घोषणा करते हैं कि हमने जिस आदर्श से प्रेरित होकर अंतर्जातीय विवाह किया है उस आदर्श से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही मैं एदत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यदि यह पाया जाता है कि पुरस्कार के पश्चात् दम्पति एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो कलेक्टर महोदय द्वारा दोनों व्यक्तियों से पुरस्कृत राशि वसूल की जावेगी।

दिनांक

दम्पति के नाम व हस्ताक्षर

स्थान

1.

2.

परीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां तथा समस्त निर्धारित प्रमाण पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है। आवेदन की समस्त प्रविष्टियां तथा समस्त निर्धारित प्रमाण पत्र पूर्ण तथा नियमों के अनुसार सही है। आवेदन पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय सहायक आयुक्त

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, सिवनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री पत्नि श्रीमती
..... के द्वारा भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग मंत्रालय
नई दिल्ली द्वारा संचालित डा.अम्बेडकर अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है। मेरे
द्वारा सिर्फ म.प्र.सरकार द्वारा संचालित अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2007 संशोधित नियम 2015 अंतर्गत
आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहता हूं। यदि भविष्य में मेरे ऊपर उक्त दोनों योजनाओं से लाभ प्राप्त होने की जानकारी
होती है तो उसके लिए हम स्वयं जवाबदार रहेंगे तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

दिनांक

दम्पति के नाम व हस्ताक्षर

स्थान

1.

2.